पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.–108~भोपाल–09–11.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



मध्यप्रदेश राजपद्य

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जून 2010—ज्येष्ठ 21, शक 1932

श्राम ४

विषयं-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश,
- (ग) (1) प्रारूप नियम,

- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.
- (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
- (3) संसद के अधिनियम.

भाग ४ (क) - कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 2010

सूचना

क्र. एफ. 3-114-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश राज्य में शहरों तथा उसके आसपास बढ़ते हुए शहरीकरण की दृष्टि से मध्यप्रदेश शासन यह समीचीन समझता है कि भूमि स्वामी द्वारा फर्श क्षेत्र के अनुपात में, उसकी भूमि को प्रतिफल के बदले सक्षम प्राधिकारी को समर्पित किया जाना सुगम बनाने हेतु नियम बनाये जायें जिससे विकास योजना में चिन्हित किये गये प्रयोजनों जैसे सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक, मनोरंजनात्मक प्रयोजन, सड़कों आदि के लिये समर्पित भूमि का उपयोग किया जा सके.

अतएव, नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 के साथ पठित धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके की उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जायेगा.

ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो नियमों के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालाविध का अवसान होने की तारीख को या उसके पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा.

नियमों का प्रारूप

- 1. **संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2010 है.
 - (2) इसका विस्तार उन समस्त योजना क्षेत्रों पर होगा जिनकी विकास योजना इस अधिनियम के अधीन अंगीकृत की गई है.
 - (3) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
 - 2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—
 - (क) ''अधिनियम से अभिप्रेत हैं; मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973)
 - (ख) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है :-
 - (एक) अधिनियम द्वारा उसके अधीन गठित किसी नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा जहां नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण विद्यमान नहीं है, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अधीन जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, या
 - (दो) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) द्वारा या उसके अधीन गठित किसी नगरपालिक निगम का आयुक्त तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) द्वारा या उसके अधीन गठित किसी नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत का मुख्य नगरपालिका अधिकारी:
 - (ग) ''विकास अधिकार प्रमाणपत्र'' से अभिप्रेत हैं, किसी भूमि स्वामी को, उसकी उस भूमि के प्रतिफल के बदले में जो कि विकास योजना में अलाभकारी उपयोग के लिये प्रस्तावित है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई अधिनिर्णय प्रमाण पत्र;
 - (घ) ''फर्श क्षेत्र अनुपात'' का वहीं अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 2 के खण्ड (29) में उसके लिए दिया गया है;
 - (ङ) ''स्वामी'' से अभिप्रेत हैं, किसी ऐसे भू-खण्ड का स्वामी जिसको किसी नगर के मास्टर प्लान या परिक्षेत्र योजना में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आरक्षित रखा गया है.
 - (ब) "हस्तांतरणीय विकास अधिकार" से अभिप्रेत हैं ऐसी भूमि के स्वामी को, जिसकी कि भूमि अलाभप्रद भू उपयोग के लिये जैसे लोक सुख सुविधाओं के लिये या मार्ग चौड़ा किए जाने के लिए या मनोरंजनात्मक प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रस्तावित है और आरक्षित रखी गई है, और जिनका उपयोग भूमि स्वामी द्वारा स्वयं अन्य भू-खण्ड पर किया जा सकता है या जिसे किसी अन्य व्यक्ति को बेचा जा सकता है, उस भूमि के प्रतिफल के रूप में रकम के बदले में प्रदान किए जाने वाले निर्मित क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करने वाला अधिनिर्णय.
- 3. भूमियां जिनके लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकार जारी हो सकेंगे.—(1) उस भूखण्ड का स्वामी, जिसकी भूमि मास्टर प्लान या परिक्षेत्र विकास योजना में खुला स्थान क्षेत्र सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, वाहन पार्किंग या किसी लोक उपयोगिता के लिए आरिक्षित स्थान के रूप में किसी लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, निर्मित क्षेत्र या फर्श क्षेत्र अनुपात के रूप में हस्तांतरणीय विकास अधिकार दिए जाने का पात्र होगा. किन्तु ये अधिकार ऐतिहासिक महत्व की भूमियों, भवनों पर लागू नहीं होंगे.
- (2) विकास अधिकार प्रमाण पत्र किसी स्वामी को केवल उस भूमि के लिये जो विकास योजना में लोक प्रयोजन के लिए आरक्षित हैं, भूमि उपवोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर प्रदान किया जाएगा ऐसी भूमि का भूमि उपयोग परिक्षेत्र, जहां विकास

अधिकार प्रमाण पत्र का उपयोग किया जा सकेगा निम्नलिखित है-

| | क्षेत्र जिसमें नामनिर्दिष्ट/ आरक्षित भू-खण्ड स्थित है | स्वीकृत क्षेत्रों में अनुज्ञात उपयोग | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| - | सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक | आवासीय/वाणिज्यक | |
| | सड़क, मनोरंजनात्मक, लोक सुख | | |
| | सुविधाएं इत्यादि | | |

- (3) विकास अधिकार प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे. फर्शी क्षेत्र अनुपात निर्मित क्षेत्र में जमा किया जायेगा, वह स्थान तथा परिक्षेत्र जिसमें विकास अधिकार प्रमाणपत्र अर्जित किए गए हैं तथा वह क्षेत्र जिसमें ऐसी जमा नए विकसित क्षेत्रों में उपयोग की जा सकेगी, विकास अधिकार प्रमाणपत्र में स्पष्ट उल्लेखित किए जाएंगे. यह भी अनिवार्य है कि प्राप्त हो रहा भू-खण्ड 12 मीटर चौड़े मार्ग से लगा हुआ हो.
- 4. विकास अधिकार प्रमाणपत्र का जारी किया जाना.—(1) भूमि स्वामी के पक्ष में विकास अधिकार प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में, भूमि समर्पित कर देने के पश्चात् ही जारी किया जायेगा. भूमि स्वामी के लिये यह आवश्यक है कि वह भूमि समर्पित करने के पूर्व भूमि को समतल करे तथा भूमि पर 1.5 मीटर कांटेदार तार लगाकर बाड़ करें.
 - (2) विकास अधिकार प्रमाणपत्र में निम्नलिखित ब्यौरे अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे.---
 - (एक) वर्गमीटर में संनिर्माण क्षेत्र संनिर्माण क्षेत्र, जो सक्षम प्राधिकारी को हस्तांतरित होने वाले भूमि क्षेत्र के समतुल्य होगा;
 - (दो) नामांतरण आदेश क्रमांक जिसके द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में भूमि हस्तांतरित की गई है;
 - (तीन) ग्राम/वार्ड के नाम सिहत वह क्षेत्र जहां विकास अधिकार उपयोग में वह लाए जाएंगे.
- 5. विकास अधिकार प्रमाणपत्र हस्तांतरणीय होगा.—(1)) विकास अधिकार प्रमाणपत्रधारी, यदि वह ऐसा करने की वांछा करता है, तो विकास अधिकार प्रमाणपत्र सम्पूर्ण रूप से या उसका कोई भाग हस्तांतरित कर सकता है, इसके लिये उसे अन्य व्यक्ति को अधिकार हस्तांतरित करने हेतु अनुरोध के साथ सक्षम प्राधिकारी को पृष्ठांकन के लिए विकास अधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. विकास अधिकार प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन के बिना अधिकार उसी के उपयोग के लिए रहेंगे, जिसे वह विधिक रूप से जारी किया गया है.
- (2) विकास अधिकार प्रमाणपत्र केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही जारी किए जाएंगे तथा ये शक्तियां किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जा सकेंगी.
 - (3) विकास अधिकार प्रमाणपत्र, विहित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर प्ररूप एक में जारी किया जाएगा.
 - (4) सक्षम प्राधिकारी, समस्त संव्यवहारों के अभिलेखों सिहत एक विकास अधिकार प्रमाण पत्र पंजी संधारित करेगा.
- 6. विकास अधिकार प्रमाण-पत्र का उपयोग.—(1) विकास अधिकार प्रमाणपत्र का उपयोग उस भू-खण्ड/भूमि पर प्रतिबंधित रहेगा जिस पर विकास योजना में भवन संनिर्माण प्रतिषिद्ध है.
- (2) किसी भू-खण्ड पर अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र अनुपात, अनुज्ञेय फर्शी क्षेत्र अनुपात के अतिरिक्त 0.4 सीमा तक उपयोग किया जा सकेगा.
- (3) विकास अधिकार प्रमाणपत्र का एक या एक से अधिक भू-खण्ड पर उपयोग किया जा सकेगा चाहे वह रिक्त हो या पूर्व से ही उस पर भवन संनिर्मित हो, किन्तु किसी भू-खण्ड पर, उप नियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट से अधिक फर्शी क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

- (4) कोई आवेदक जो विकास अधिकार प्रमाणपत्र का उपयोग करने की वांछा करता है सक्षम प्राधिकारी को विकास अधिकार प्रमाणपत्र के साथ विकास हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा.
- (5) सक्षम प्राधिकारी, विकास अनुज्ञा पर, स्पष्ट रूप से, शब्दों तथा अंकों में विकास अधिकारों का क्षेत्र पृष्ठांकित करेगा. यह भी आवश्यक है कि सम्यक् सत्यापन के पश्चात् आवेदक द्वारा उपयोग किए गए विकास अधिकारों का मूल विकास अधिकार प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकन किया जाए.
- (6) विकास अधिकारों के भागत: और पूर्णत: हस्तांतरण की दशा में मूल विकास अधिकार प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकन आवश्यक होगा.
- 7. **हस्तांतरण के पश्चात् भूमि का स्वामित्व.**—वह भूमि जिस पर विकास अधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया है, समस्त विल्लंगमों से मुक्त होकर सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में नामांतरित हो जाएगी.
- 8. विकास अधिकार प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सामान्य निबंधन और शर्ते.— (1) विकास अधिकार प्रमाणपत्र केवल भूमि स्वामी के नाम से ही जारी किया जाएगा. यदि सम्पत्ति भागीदारी फर्म के नाम से है तो विकास अधिकार प्रमाणपत्र वर्तमान भागीदारों के नाम से जारी किया जायेगा न की भागीदारी फर्म के नाम से.
- (2) अनिवासी भारतीयों तथा विदेशी नागरिकों के पक्ष में विकास अधिकार प्रमाणपत्र का हस्तांतरण/उसकी उपयोगिता, भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों तथा विनियमनों के अध्यधीन रहते हुए होगी.
- (3) विकास अधिकार प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए किए गए आवेदन पर छायाचित्र के साथ-साथ नमूना हस्ताक्षर/अंगूठा निशान कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पब्लिक नोटरी द्वारा उसकी कार्यालयीन सील के अधीन सत्यापित किए जाएंगे.
- (4) अनेक व्यक्तियों द्वारा संपत्ति संयुक्त रूप से धारण किए जाने के बारे में सक्षम प्राधिकारी केवल एक प्रमाणपत्र जारी करेगा तथा अनेक संयुक्त धारकों में से एक को, जैसा कि संयुक्त धारकों द्वारा विनिश्चत किया जाए, विकास अधिकार प्रमाणपत्र परिदत्त करेगा तथा सभी के द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित ऐसा आवेदन पत्र तैयार करेगा तथा उसे ऐसे समस्त धारकों को पर्याप्त रूप से किया गया परिदान माना जाएगा.
 - (5) विकास अधिकार प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी की सील एवं हस्ताक्षर के अधीन जारी किया जाएगा.
- (6) सक्षम प्राधिकारी, विकास अधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने का आवेदन पत्र निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त कर सकेगा.—
 - (क) यदि सक्षम अधिकारी को संपत्ति का भौतिक आधिपत्य सौंपे जाने की तारीख के पूर्व संपत्ति के स्वामी द्वारा राज्य सरकार/स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण को कोई शोध्य देय हो तो सक्षम प्राधिकारी, स्वामी/स्वामियों द्वारा समस्त शोध्यों का भुगतान किए जाने तक विकास अधिकार प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना रोक सकेगा;
 - (ख) यदि संपत्ति सक्षम प्राधिकारी को उसी प्रकार सौंपी गई है तथा विकास अधिकार प्रमाणपत्र का कपटपूर्ण साधन से अनुरोध किया गया है तब सक्षम प्राधिकारी, विकास अधिकार प्रमाणपत्र का दावा निरस्त कर सकेगा.
 - (7) अंतिम शेष को छोड़कर विकास अधिकार प्रमाणपत्र का उपयोग 50 वर्ग मीटर के गुणज में होगा. 50 वर्गमीटर के गुणज से अन्यथा, विकास अधिकार प्रमाणपत्र के उपयोग के लिए अंतरक या अंतरिती के किसी अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

प्ररूप ''एक''

परिशिष्ट-1

विकास अधिकार प्रमाण-पत्र

क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि जिस व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम प्रमाण-पत्र में है/हैं, मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय अधिकार नियम, 2010 के उपबंधों के अध्यधीन जारी किये गये विकास अधिकार प्रमाण-पत्र का रजिस्ट्रीकृत धारक है/हैं.

- समर्पित की गई भूमि का स्थान और ब्यौरे (ग्राम/वार्ड/खसरा नंबर...... सर्वे नंबर.....)
- 2. भूमि का क्षेत्र वर्गमीटर में
- 3. सक्षम प्राधिकारी को हस्तांतरित की गई भूमि का आधिपत्य प्राप्त करने का क्रमांक तथा दिनांक
- अधिशेष रिक्त भूमि की दशा में शासन द्वारा जारी आदेश का क्रमांक तथा दिनांक
- 5. समर्पित की गई भूमि का परिक्षेत्र
- 6. समर्पित की गई भूमि का आरक्षण (भू-उपयोग)
- 7. क्षेत्र जहां विकास अधिकार प्रमाणपत्रों का उपयोग किया जा सकेगा.

नाम
पिता/पित का नाम
पता
निर्मित क्षेत्र का जमा फर्शीक्षेत्र अनुपात
वर्गमीटर में
(अंकों तथा शब्दों में)

भोपाल, दिनांक 26 मई 2010

क्र. एफ. 3-114-2009-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ''ख'' के अनुसरण में आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-114-2009-बत्तीस, दिनांक 26 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 26th May 2010

NOTICE

NO. F-3-114-2009-XXXII.—Whereas in view of growing urbanization in and around the towns in the State of Madhya Pradesh, the Government of Madhya Pradesh finds it expedient to frame rules to facilitate the land owner to surrender his land to competent authority in lieu of consideration in terms of floor area ratio so that the surrendered land may be used for the purpose earmarked in Development Plan e. g. public and semi-public, recreational, roads etc.

Now, Therefore, the following draft of rules which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Ahiniyma, 1973 (No. 23 of 1973) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of rules on or before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF RULES

- 1. **Short title, extent and Commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Transferable Development Rights Rules, 2010.
 - (2) It extends to all the planning area whose Development Plan are adopted under the Act.
 - (3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.
 - 2. **Definitions.**—in these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Act" means the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973);
 - (b) "Competent authority" means :-
 - the Chief Executive Officer of A Town and Country Development Authority constituted by or under the Act and where the Town and Country Development Authority does not exist the Chief Executive Officer of Zila Panchayat under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994); or
 - (ii) the Commissioner of a Municipal Corporation constituted by or under the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Chief Municipal Officer of a Municipal Council or a Nagar Panchayat constituted by or under the Madhya Pradesh Municipalties Act, 1961 (No. 37 of 1961);
 - (c) "Development Rights Certificate" means a certificate of award issued by competent authority to owner of land in lieu of consideration of his land which is proposed for non-remunerative use in development plan;
 - (d) "Floor Area Ratio" shall have the same meaning as assigned to it in clasue (29) of rule 2 of the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 1984;
 - (e) "Owner" means owner of a plot of land which is reserved for public purpose in Master Plan or Zonal Plan of a town;
 - (f) "Transferable Development Rights" means an award specifying the built up area in lieu of amount as consideration to owner of the land which is proposed and reserved for non profitable land use such as public amenities or road widening or recreational purpose, or other public purpose and which can be used by the owner of the land himself on other plot or can be sold to any other person.
- 3. Lands against which transferable Development Rights can be issued.—(1) The owner of plot of land which is required for a public purpose in the Master Plan or Zonal Development Plan by way of reservation for open space zone, roads, school, health centre, vehicles parking or any public uitility, shall be eligible for the award of Transferable Development Rights in the form of built up area or Floor Area Ratio. But these rights shall not be applicable on land or buildings having historical importance.
- (2) Development Rights Certificate will be granted to an owner only for that land which is reserved for public purpose in Development Plan, on the submission of land use certificate. The land use Zone of such land where Development Rights Certificate can be utilized as under:—

| - | Zone in which designated/ reserved plot is situated (1) | Uses to be permitted in received areas (2) |
|---|---|--|
| | Public and semipublic road, recreational, public amenities etc. | Residential/Commercial |

- (3) Development Rights Certificates will be issued by the competent authority. The floor area ratio credit will be in the built-up area, the place and the zone in which the Development Rights Certificates are earned and the areas in which such credit may be utilized in newly developed areas will be clearly mentioned in Development Rights Certificate. It is also mandatory that receiving plot should be abutting 12 metres wide road.
- 4. **Issuance of Development Rights Certificate.**—(1) Development Rights Certificates will be issued in favour of land owner only after surrendering the land in favour of Competent Authority. It is necessary to the land owner to level and fence the land with 1.5 m. barbed wire fence before surrendering.
 - (2) The following details shall be compulsorily included in Development Rights Ceritficates:—
 - (i) construction area in square metre which shall be equivalent to the land area to be transferred to the competent authority;
 - (ii) mutation order number by which the land is transferred in favour of Competent Authority;
 - (iii) the area with name of village/ward where the Development Rights shall be used.
- 5. Development Rights Certificate will be transferable.—(1) Development Rights Certificate holder can transfer the Development Rights Certificate in full or in part, if the desires to do so for which he shall submit the Development Rights Certificate for endorsement to Competent Authority with request for transfer the right to other person. Without endorsement of the Development Rights Certificate, the rights shall remain for the utilization to whom it is legally issued.
- (2) The Development Rights Certificate shall only be issued by the Competent Authority and these powers cannot be delegated to any other officer.
 - (3) Development Rights Certificate shall be issued in Form I on non-judicial stamp of prescribed value.
 - (4) Competent Authority shall maintain a Development Rights Certificates register with records of all the transactions.
- 6. Utilization of Development Right Certificate.—(1) The use of Development Rights Certificate shall remain restricted on the plot/land where building construction is prohibited in Development Plan.
- (2) The additional Floor Area Ratio on any plot may be utilized up to the extent of 0.4 in addition to permissible Floor Area Ratio.
- (3) Development Rights Certificate can be utilized on one or more than one plot. Either it is vacant or have building already constructed over it, but the floor area cannot be utilized more than as specified in sub-rule (2) on any plot.
- (4) Any applicant who desires to utilize Development Rights Certificate has to submit the application for development along with Development Rights Certificate to competent authority.
- (5) Competent Authority will endorse the area of development rights on development permission in words and figures clearly. It is also necessary to endorse the area of development rights used by applicant on original Development Rights Certificates after due verification.
- (6) The endorsement would be necessary on original Development Rights Certificate in case of transfer of Development Rights partially and fully.
- 7. Land ownership after transfer.— The land against which Development Rights Certificates is issued will be muted in favour of the Competent Authority free from all encumbrances.
- 8. General terms and conditions for issue of Development Right Certificate.—(1) The Development Rights Certificate will be issued only in the name of owner of the land. If the property stands in the name of partnership firm, Development Rights Certificate shall be issued in the name of present partners and not in the name of partnership firm.
- (2) The transfer/utilization of Development Rights Certificate in favour of Non-resident Indians and foreign Nationals will be subjects to rules and regulations of the Reserve Bank of India.
- (3) The specimen signature/thumb impression along with photograph on application for grant of Development Rights Certificates shall have to be attested by an Executive Magistrate of Public Notary under his official seal.

- (4) In respect of property hold jointly by several persons the competent authority shall issue only one certificate and deliver the Development Rights Certificate to one of the several joint holders as may be decided by joint holders and make such an application duly signed by all and the same shall be treated as sufficient delivery to all such holders.
 - (5) Developments Rights Certificate shall be issued under the seal and signature of competent authority.
- (6) The competent authority may reject the application for grant of Development Rights Certificate in the following circumstances:—
 - (a) If any dues are payable by the owner of the property, to the State Government/Local body/Development Authority prior to date of handing over physical possession of the property to the competent authority, then the competent authority can withhold issue of Development Rights Certificates unless all the dues are paid by the owner(s);
 - (b) If the property so handed over to the competent authority and Development Rights Certificates is requested by fraudulent, means then the competent authority may reject the claim of Development Rights Certificate.
- (7) The utilization of Development Rights Certificates shall be in multiples of 50 square metre only except the last remainder. Any request of the transferor or transferee for utilization of Development Rights Certificate other than in multiples of 50 square metre shall not be considered by the competent authority.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

Annexure-I

FORM I DEVELOPMENT RIGHTS CERTIFICATES

No.

Date :-

Certified that the person(s) whose name(s) is/are in the certificate is/are the registered holder(s) of the Development Right Certificate issued subject to the provisions of the Madhya Pradesh Transferable Development Rights Rules, 2010.

- Location and Details of the land surrendered (Village/Ward/Khasra No. Survey No)
- 2. Area of the land in square metre
- 3. Land handed over to the Competent Authority vide possession received No. & date.
- 4. No. & Date of the order issued by the Government of the surplus vacant land
- 5. Zone of the land surrendered
- 6. Reservation of land surrendered (land use)
- 7. The area where the Development Rights Certificates can be utilized.

Name Father's/Husband's Name Address

Floor Area Ratio credit of built up area In square metres (in words & figures)

अन्तिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, भोपाल

पंचम् तल, मैट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल — 462 016

भोपाल, दिनांक 2 जून, 2010

क्र. 1380-म.प्र.विनिआ-2010.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित धारा 39(2)(डी) (i), 40, (सी)(i) 66, 86(1)(सी) तथा 86(2)(i) द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 को अधिसूचित मध्यप्रदेश संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता में निम्नानुसार संशोधन करता है:—

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (संतुलन तथा व्यवस्थापन) संहिता में प्रथम संशोधन

1. प्रस्तावना :

1.1 कुछ हितधारकों (Stakeholders) द्वारा इस संहिता की प्रयोज्यता की व्याख्या में कठिनाईयों का अनुभव किया गया है. हितधारकों की कठिनाईयों के निराकरण हेतु, आयोग द्वारा यह संशोधन प्रस्तावित किया गया है.

2. संक्षिप्त शीर्षक, प्रयोज्यता की सीमा तथा प्रारंभ :

- 2.1 यह संहिता ''मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (संतुलन तथा व्यवस्थापन) संहिता, 2009 (प्रथम संशोधन) (क्रमांक एजी-34(i), वर्ष 2010)'' कही जाएगी.
- 2.2 आगामी धारा 3 में किये गये संशोधन के अनुसार.
- 2.3 यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी.

3. धारा 2 में संशोधन :

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (संतुलन तथा व्यवस्थापन) संहिता जिसे एतद् पश्चात् 'प्रधान संहिता', कहा गया है, में धारा 2 की कण्डिका 2.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''2.2 यह संहिता मध्यप्रदेश राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में लागू होगी तथा राज्यान्तरिक इकाइयों को (राज्यान्तरिक खुली पहुंच क्रेताओं को छोड़कर) इस संहिता में विनिर्दिष्ट विधि के अनुसार लागू होगी.

4. धारा 11 में संशोधन :

प्रधान संहिता में, धारा 11 की विद्यमान कण्डिका 11.1 को विलोपित किया जाएगा.

आयोग के आदेशानुसार, पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

Bhopal, the 2nd June 2010

No. 1380-MPERC-2010.—In Exercise of the powers conferred by Section 181 read with Sections 39(2)(d)(i), 40 (c) (i) 66,86(1) (c) and 86(2)(i) of the Eectricity Act 2003, (No. 36 of 2003) and all power enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Electricity Balancing and Settlement Code notified on 30th october, 2009.

FIRST AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY BALANCING AND SETTLEMENT CODE

1. Preamble:

- 1.1 Some of the stakeholders have experienced difficulties in the interpretation of applicability of this Code.

 To obviate difficulties of the stakeholders, the Commission has proposed this Amendment.
- 2. Short title, extent of application and commencement :
- 2.1 This Code shall be called "Madhya Pradesh Electricity Balancing and Settlement Code, 2009 (First Amendment) No. AG-34(i) of 2010)".
- 2.2 As per amendment in the ensuing Section 3.
- 2.3 this Code shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

3. Amendment to the Section 2:

In the Madhya Pradesh Electricity Balancing and Settlement Code, hereinafter called the Principal Code in Clause 2.2 of Section 2 the following shall be replaced, namely:—

"2.2 This Code shall apply within the geographical area of the State of Madhya Pradesh and shall apply to Intra-State Entities (excluding Intra State Open Access Customers) in Madya Pradesh in a manner as specified in this Code."

4. Amendment to Section 11:

In the principal Code, the existing Clause 11.1 of Section 11 shall be deleted.

By order of the Commission, P. K. CHATURVEDI, Commission Secretary.